लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित है यह संपत्ति

ईडी कार्रवाई: 7.5 करोड़ की संपत्ति अटैच, बैंक फ्रॉड मामले में जांच तेज

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9981382813

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इंदौर सब जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की है। यह संपत्ति यूनाइटेड किंगडम के लंदन स्थित हीथ्रो एयरपोर्ट के पास बताई जा रही है। इस कार्रवाई को लेकर ईडी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की है।

ईडी के अनुसार... यह कार्रवाई एक बड़े बैंक फ्रॉड मामले में की गई है, जिसमें मेसर्स नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके डायरेक्टर/प्रमोटर्स की जांच की जा रही है। यह जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत की जा रही है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सीबीआई द्वारा दर्ज दो अलग-अलग प्रकरणों पर आधारित है। पहले मामले में पॉली लॉजिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी समेत अन्य पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 57.47 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है, वहीं दूसरे मामले में नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीलकुमार त्रिवेदी और अन्य पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 249.97 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। दोनों मामलों को मिलाकर कुल कथित धोखाधड़ी 307.44 करोड़ रुपए की बताई गई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कई कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर का जटिल नेटवर्क बनाया, जिससे अवैध धन को छिपाया जा सके। इन कंपनियों के माध्यम से पैसों को विभिन्न संबंधित संस्थाओं में घुमाकर उसकी वास्तविक प्रकृति को छिपाया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कर्मचारियों और करीबी सहयोगियों के नाम पर डमी कंपनियां बनाई गईं, जिनके जरिए धन का लेन-देन किया गया। एजेंसी के मुताबिक... इस प्रक्रिया के जरिए अवैध धन को विदेशों में ट्रांसफर किया गया। 26 फरवरी, 2026 को आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें डिजिटल डिवाइस और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए।

यह वह संपत्ति, जिसे ईडी द्वारा अटैच किया गया।

एमपी ग्रामीण बैंक भर्ती घोटाला: 11 आरोपियों की याचिकाएं खारिज

सत्यापन के दौरान आरोपियों का डेटा मिसमैच मिला था

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9981382813

मप्र ग्रामीण बैंक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) न्यायालय ने 11 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और जांच की प्रारंभिक स्थिति को देखते हुए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया। इसके संबंध में सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रूपम वेदी की अदालत में मामले की सुनवाई होने के बाद 24 मार्च को आदेश जारी किया गया। इसमें रूपलाल मीणा, मुनेश कुमार मीणा, रवि कुमार मीणा, शिवकेश मीणा, आलोक कुमार मीणा, आशीष कुमार मीणा, कुमार निखिल, विजय सिंह मीणा, सुरेशचंद्र सैनी, जितेंद्र सिंह और विमलेश मीणा द्वारा दायर द्वितीय जमानत आवेदन पर एक साथ निर्णय सुनाया गया। सीबीआई एसीबी भोपाल द्वारा दर्ज अपराध में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 419, 420, 467, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हैं। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने स्थान पर अन्य व्यक्तियों (सॉल्वर) से परीक्षा दिलवाई और इसके आधार पर बैंक में नौकरी हासिल की।

वर्ष 2020-2022 के दौरान परीक्षाओं में अनियमितताएं

अभियोजन के अनुसार... भर्ती प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान आरोपियों के डेटा में मिसमैच पाया गया, जिससे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि वर्ष 2020-2022 के दौरान आईबीपीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताएं हुईं और इसी आधार पर दिसंबर 2025 में एफआईआर दर्ज की गई, वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अभी जांच जारी है : कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अभी जांच जारी है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देने से साक्ष्यों और गवाहों पर प्रभाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपियों द्वारा अपने स्थान पर अन्य व्यक्तियों को परीक्षा में बैठाकर न केवल धोखाधड़ी की गई, बल्कि योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का भी हनन हुआ है। अदालत ने सभी 11 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए मामले को आगे की कार्रवाई के लिए 28 मार्च, 2026 को अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियत किया है।

ट्रांसफर पर रोक के लिए फिर हाईकोर्ट पहुंचे अंबरेश नायडू

इंदौर। वरिष्ठ जिला पंजीयक अंबरेश नायडू एक बार फिर अपने स्थानांतरण पर रोक के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। डबल बेंच द्वारा पूर्व में दिया गया स्टे हटाए जाने के बाद उन्होंने सिंगल बेंच में नई याचिका दायर की है। मंगलवार को हाईकोर्ट इंदौर में इस मामले पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी और आदेश सुरक्षित रख लिया। नायडू का स्थानांतरण 21 जुलाई, 2025 को इंदौर से रतलाम किया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 1 अगस्त, 2025 को उन्हें ट्रांसफर पर स्टे मिल गया था। हालांकि 17 मार्च, 2026 को डबल बेंच ने यह स्टे हटा दिया, जिससे उनका स्थानांतरण फिर प्रभावी हो गया। इससे पहले 5 जुलाई, 2025 को ईओडब्ल्यू ने कम मूल्य पर रजिस्ट्री करने के आरोप में निजी व्यक्तियों के साथ उपपंजीयक संजय सिंह और नायडू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

तीन हजार से अधिक मरीजों को दिया गया नि:शुल्क लाभ

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9009585701

मुख्यमंत्री की पहल पर संचालित संकल्प से समाधान अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अरबिंदो, इंडेक्स, चोइथराम और बॉम्बे हॉस्पिटल में शिविर लगाए गए।

इन शिविरों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय, किडनी और कैंसर जैसी बीमारियों की नि:शुल्क जांच व उपचार किया गया। कुल 3361 मरीजों की जांच हुई, जबकि 352 को आगे की चिकित्सा के लिए चिह्नित किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से मरीजों को लाने के लिए नि:शुल्क परिवहन और भोजन की व्यवस्था भी की गई।

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266
ब्रांच ऑफिस- बेंचमार्क बिजनेस पार्क, 5वीं मंजिल, ब्लॉक नंबर ए-3, स्कीम नंबर 54- PU-4, सत्य साई स्कूल के सामने, विजय नगर, इंदौर - 452010

परिशिष्ट - IV
[सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के नियम 3 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 07.01.2026 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त नोटिस में उल्लिखित उधारकर्ताओं टोडर मल सिसोदिया, चंद्रकांता सिसोदिया एवं क्रिस्टल सिसोदिया से रुपये 46,17,047.74/- (रुपये छियालिस लाख सत्रह हजार सैंतालीस एवं चौहत्तर पैसे मात्र) का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का अनुरोध किया गया था।
उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, वर्ष 2026 के 24 मार्च को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा रुपये 46,17,047.74/- (रुपये छियालिस लाख सत्रह हजार सैंतालीस एवं चौहत्तर पैसे मात्र) ब्याज के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण
MU संख्या 99 (पुराना और नया 128 - कमर्शियल) और MU संख्या 66 (पुराना और नया 128) का संपूर्ण भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 412.5 वर्ग फुट है। यह संविद नगर, खजराना, तिलक नगर, इंदौर 452018, मध्य प्रदेश 452018 में स्थित है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः भगवंती बाई का मकान; पश्चिमः श्री भंवरलाल का मकान; उत्तरः सरकारी सड़क; दक्षिणः विक्रेता का मकान।

दिनांक : 24.03.2026
स्थान : इन्दौर
अधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय : ICICI Bank Limited प्लॉट नंबर-23, शेल टावर, तीसरी मंज़िल, नई रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

सिक्योरिटाइजेशन एंड री-कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत ICICI बैंक लिमिटेड (दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा ICICI बैंक को सौंपे गए अंडरलाइंग पूल पर) द्वारा एक नोटिस जारी किया जा रहा है। यह नोटिस DHFL और निम्नलिखित कर्जदार/कर्जदारों के बीच हुए लोन एग्रीमेंट के तहत दी गई हाउसिंग लोन सुविधा से संबंधित सिक्योरिटी को लागू करने के संबंध में है, जिन्होंने सिक्योर्ड क्रेडिटर से लिए गए लोन सुविधा/सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में डिफॉल्ट किया है। इन लोन को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) के रूप में क्लासिफाई किया गया है। उन्हें उनके आखिरी ज्ञात पते पर एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह बिना तामील हुए वापस आ गया है, इसलिए इस पब्लिक नोटिस के माध्यम से उन्हें सूचित किया जा रहा है।

स. क्र.	कर्ज लेने वाले/सह-कर्ज लेने वाले/ गारंटर का नाम और पता (DHFL पुराना LAN और ICICI नया LAN)	सुरक्षित संपत्ति / लागू की जाने वाली संपत्ति का पता	नोटिस भेजने की तारीख/ नोटिस की तारीख के अनुसार बकाया राशि	एनपीए दिनांक
1.	हिम्मत सिंह/शिव कुँवर (ऋण सं.) 1530000813 एवं खाता संख्या QZUDP00005007443) एवं हीरो शोरूम के सामने शिव कॉलोनी उदयपुर रोड बांसवाड़ा राजस्थान उदयपुर - 327001	प्लॉट नंबर 2, वेक लोकैलिटी जनमेदी - बी, राजस्व ग्राम जानामेड़ी बांसवाड़ा, राजस्थान, बांसवाड़ा, 327001	23/02/2026 Rs. 11,30,504/-	09/12/2025

नोटिस की सब्स्टीट्यूटेड सर्विस के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऊपर बताए गए कर्जदार और/या लोन के गारंटर (जैसा लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के पब्लिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर बकाया पेमेंट कर दें, नहीं तो, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दिनांक : 26, मार्च, 2026 स्थान : इन्दौर
अधिकृत अधिकारी, टीम आईसीआईसीआई बैंक

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ऑफिस नंबर 201बी, दूसरी मंजिल, रोड नंबर 1, प्लॉट नंबर-3बी, वाईफ़ाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे (पश्चिम)- 400604

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	हेमंत नांडले और उमा नांडले LBKHD00007084110/ LBKHD00007084111/ TBKHD00007077276/ TBKHD00007077277.	प्लॉट नंबर 03, श्री गोकुलधाम कॉलोनी, बिस्टान रोड, पी.एच नंबर 47 (नया 08), वार्ड नंबर 30 (31), खसरा नंबर 67/6/2, ग्राम सांगवी, मध्य प्रदेश, खरगोन - 451001/ मार्च 23, 2026	अक्टूबर 28, 2025 रु. 16,27,879/-	खंडवा

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।
दिनांक : मार्च 26, 2026
स्थान : भोपाल और खरगोन
भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

इंदौर एयरपोर्ट: रविवार को हो सकता है नए टर्मिनल का शुभारंभ

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584691000

यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर नवीनीकृत टर्मिनल-1 (टी-1) के शुभारंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संभावना जताई जा रही है कि आगामी रविवार को इस टर्मिनल का लोकार्पण किया जा सकता है। हालांकि अधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इस नवीनीकृत टर्मिनल के शुरू होने से एयरपोर्ट की यात्री क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इसके चालू होने के बाद एयरपोर्ट की कुल क्षमता बढ़कर सालाना करीब 50 लाख यात्रियों तक पहुंच सकती है। करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां लगभग 400 यात्रियों के बैठने की क्षमता, 14 चेक-इन काउंटर, आरक्षित लाउंज, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा और बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहां सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। टर्मिनल में 3 एक्स-रे मशीनें और आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं, जिससे जांच प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी। नए टर्मिनल के शुरू होने से छोटे एटीआर विमान संचालन यहां से किया जाएगा। इससे मुख्य टर्मिनल पर दबाव कम होगा और यात्रियों को अधिक सहज यात्रा अनुभव मिलेगा। यात्रियों को इस टर्मिनल में कई नई सुविधाएं भी मिलेंगी। इनमें किफायती दरों पर 'उड़ान कैफे', जहां चाय 10 रुपए, समोसा और पोहा 20 रुपए में उपलब्ध होंगे। फ्री वाई-फाई, स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित 'अवसर' स्टॉल और 'फ्लाईब्रेरी' (लाइब्रेरी) जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES SEBI (ICDR) REGULATIONS AS AMENDED. **NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.** INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES OF LAXYO LIMITED ON THE MAIN BOARD OF BSE LIMITED (**"BSE"**) AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (**"NSE"**, AND TOGETHER WITH BSE, THE **"STOCK EXCHANGES"**) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (**"SEBI ICDR REGULATIONS"**).

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR code to view the DRHP alongwith Draft Abridged Prospectus)

LAXYO We, the energy people....

LAXYO LIMITED
(Formerly known as "Laxyo Energy Limited")

The Equity Shares of Our Company will get Listed on the Main Board Platforms of BSE and NSE.

Our Company was originally incorporated as *"Laxyo Energy Private Limited"* as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated April 16, 2007, issued by the Registrar of Companies, Madhya Pradesh at Gwalior (**"RoC"**). Thereafter, our Company's name was changed to "Laxyo Energy Limited" upon conversion to a public limited company pursuant to a Board resolution dated March 09, 2013 and a special resolution passed in the extra ordinary general meeting of the Shareholders held on April 09, 2013 and consequently a fresh certificate of incorporation dated April 18, 2013 was issued by the RoC. Further, the name of our Company was changed to *"Laxyo Limited"* pursuant to resolutions of our Board and Shareholders dated June 14, 2025, and September 05, 2025, respectively, and our Company received a fresh certificate of incorporation from the Registrar of Companies, Central Processing Centre on September 15, 2025. For further details, see *"History and Certain Corporate Matters – Brief History of our Company"* on page 288 of the Draft Red Herring Prospectus dated March 23, 2026 (**"DRHP"**).

Registered Office: Plot No. 2, County Park, Mahalaxmi Nagar, MR-5, Vijay Nagar, Indore-452010, Madhya Pradesh, India.
Corporate Office: Laxyo Tower, 46/1, T.I.T. Road, Ratlam - 457001, Madhya Pradesh, India.
Contact Person: Bhumika Sharma, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** 0731-4972695 **E-mail:** cs@laxyo.com; **Website:** www.laxyo.com
Corporate Identity Number: U40101MP2007PLC019448

OUR PROMOTERS: DEV PRAKASH SHARMA, JAI PRAKASH SHARMA, YOGESH SHARMA, RAJESHWARY SHARMA AND SHREYANSH SHARMA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF LAXYO LIMITED (FORMERLY KNOWN AS "LAXYO ENERGY LIMITED") (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 1,500 MILLION (THE "ISSUE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [●] % OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT AGGREGATING UP TO ₹ 300 MILLION, AS MAY BE PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAW, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE ISSUE, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE ISSUE OR THE ISSUE MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT IN LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE PROSPECTUS. OUR COMPANY SHALL REPORT ANY PRE-IPO PLACEMENT TO THE STOCK EXCHANGES, WITHIN 24 HOURS OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT (IN PART OR IN ENTIRETY).

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE [●], AN ENGLISH LANGUAGE NATIONAL DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION, AND ALL EDITIONS OF [●], A HINDI LANGUAGE NATIONAL DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION (HINDI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MADHYA PRADESH WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID / ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

This is an Issue in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. This Issue is being made through the Book Building Process in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations wherein in terms of Regulation 32(2) of the SEBI ICDR Regulations, not less than 75% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"** and such portion the **"QIB Portion"**) provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (**"Anchor Investor Portion"**),of which 33.33% shall be reserved for domestic Mutual Funds and 6.67% shall be reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, Life Insurance Companies and Pension Funds at or above the price at which Equity Shares will be allocated to the Anchor Investors (**"Anchor Investor Allocation Price"**), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) (**"Net QIB Portion"**). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Net Issue Price. If at least 75% of the Net Issue cannot be Allotted to QIBs, then the entire Bid Amount (as defined hereinafter) will be refunded forthwith. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not more than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders (**"NIBs"**) of which (a) one third portion shall be reserved for NIBs with application size of more than ₹0. 2 million and up to ₹1 million; and (b) two-thirds of the portion shall be reserved for NIBs with application size of more than ₹1 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to Bidders in other sub-category of the NIBs in accordance with SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received above the Issue Price and not more than 10% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders (**"RIB"**) in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID (in case of UPI Bidders (defined hereinafter) using the UPI Mechanism), in which case the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable to participate in the Net Issue. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Net Issue through the ASBA process. For details, see *"Issue Procedure"* beginning on page 464 of the DRHP. This Draft Red Herring Prospectus is filed with SEBI and the Stock Exchanges under Chapter II of the SEBI ICDR Regulations.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP dated March 23, 2026 on March 24, 2026 alongwith Draft Abridged Prospectus with SEBI and the Stock Exchanges and Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**). Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP along with Draft Abridged Prospectus with SEBI and the Stock Exchanges has been made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of publication of this public announcement by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges at, www.bseindia.com and www.nseindia.com, on the website of the Company at www.laxyo.com and on the website of the Book Running Lead Manager ("**BRLM**"), i.e. Indorient Financial Services Limited at www.indorient.in. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP along with Draft Abridged Prospectus filed with SEBI and the Stock Exchanges, with respect to disclosures made in the DRHP along with Draft Abridged Prospectus. The members of the public is requested to send a copy of the comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM in relation to the Issue on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the date of publication of this public announcement.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* on page 24 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus ("**RHP**") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP and Draft Abridged Prospectus. The Equity Shares, when issued through the RHP, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

For details of the share capital and capital structure and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, please see the section titled *"Capital Structure"* on page 81 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited by their shares. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 288 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Indorient Financial Services Limited	MUFG MUFG Intime	**Bhumika Sharma,** Plot No. 2, County Park, Mahalaxmi Nagar, MR-5, Indore-452010, Madhya Pradesh, India. **Tel:** 0731-4972695 **Email:** cs@laxyo.com
Indorient Financial Services Limited B/805, Rustomjee Central Park, Andheri Kurla Road, Chakala, Mumbai – 400093, Maharashtra, India. **Tel.:** +91 98199 34811 **E-mail:** compliance-ifsl@indorient.in **Website:** www.indorient.in **Investor grievance e-mail:** wecare@indorient.in **Contact person:** Manish Tejwani / Amina Khan **SEBI Registration Number:** INM000012661 **CIN:** U67190DL1993PLC052085	**MUFG Intime India Private Limited** *(Formerly Link Intime India Private Limited)* C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India. **Tel No.:** +91 810 811 4949 **E-mail:** laxyo.ipo@in.mpms.mufg.com **Investor Grievance Email:** laxyo.ipo@in.mpms.mufg.com **Website:** https://in.mpms.mufg.com/ **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No:** INR000004058 **CIN:** U67190MH1999PTC118368	Bidders may contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Book Running Lead Manager or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, unblocking of funds, etc. For all Issue related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLM.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **LAXYO LIMITED**
(Formerly known as "Laxyo Energy Limited")
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Bhumika Sharma
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Indore, Madhya Pradesh
Date: March 25, 2026

LAXYO LIMITED, *(Formerly known as "Laxyo Energy Limited")* is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP along with Draft Abridged Prospectus dated on March 23, 2026 with SEBI and the Stock Exchanges on March 24, 2026. The DRHP along with Draft Abridged Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.laxyo.com and on the website of the Book Running Lead Manager ("**BRLM**"), i.e. Indorient Financial Services Limited at www.indorient.in. Any potential Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see *"Risk Factors"* on page 24 of the DRHP along with Draft Abridged Prospectus. Potential Bidders should not rely on the DRHP along with Draft Abridged Prospectus filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, when filed, for making investment decision.

The Equity Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**) or any state law of the United States and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act or any state law of the United States. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and in accordance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

Adfactors 869/26